बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

पत्रांक–2/जी1–06/07, अंश –15
बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

सेवा में,
महालेखाकार (ए.एण्ड.ई0–11).
बिहार, पटना
*अनौपचारिक रूप से * (द्वारा)–वित्त विभाग ।
परामर्शित

पटना, दिनांक 30.11.2009

विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–10 में गैर–योजनान्तर्गत संस्कृत अकादमी, पटना को रू0 56,76,000/–(छप्पन लाख छिहत्तर हजार रू0 मात्र) सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2009–10 में संस्कृत अकादमी, पटना में स्वीकृत पद पर स्थायी रूप से नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनादि, बकाया वेतनादि, मकान भाड़ा, बिजली, कार्यालय व्यय, आवश्यक आकस्मिक व्यय विवरणी परिशिष्ट "क" के अनुसार रू0 56,76,000/–(छप्पन लाख छिहत्तर हजार रू0 मात्र) सहायक अनुदान स्वीकृत करने की कृपा की है। गत वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में आवश्यक राशि की वृद्धि सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 6015/2006 में दिनांक 15.09.08 को पारित आदेश के आलोक में किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि वैसे कर्मी जो स्वीकृत पद पर स्थायी रूप से नियुक्त है उन्हें वेतनादि के भुगतान के लिए बजट में उपबंध कराकर अकादमी को उपलब्ध करावें। वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09 में बजट प्रावधान कम रहने के कारण पूरे वित्तीय वर्ष का वेतनादि भुगतान नहीं किया जा सका। बकाया वेतनादि की विवरणी परिशिष्ट "क" के रूप में संलग्न है।

2. व्यय का विकलन क्रमशः मुख्य शीर्ष 2202– सामान्य शिक्षा–80– सामान्य–004–अनुसंधान मांग संख्या 21–0017–संस्कृत अकादमी, विपत्र कोड एन– 2202800040017 –3101–सहायक अनुदान " के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में होगा।

3. संपूर्ण राशि 56,76,000/–(छप्पन लाख छिहत्तर हजार रू0 मात्र)मात्र लेखा पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के निस्ताराधीन सौंपी जाती है जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी करेंगे तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक संस्कृत अकादमी को 56,76,000/–(छप्पन लाख छिहत्तर हजार रू0 मात्र) रू0 मात्र भुगतान करेंगे ।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 5.10.07 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 8.11.07 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के पश्चात् आवंटन आदेश निर्गत होने के बाद राशि की निकासी की जाएगी।

5. विभागीय पत्रांक 177 दिनांक 04.02.1999 द्वारा अनुमोदित चतुर्थ वेतनमान में वेतनादि एवं बकाये वेतनादि का भुगतान निबंधित सी0ए0 द्वारा अंकेक्षण कराकर अकादमी द्वारा किया जाएगा।

6. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य अंकेक्षण वित्त विभाग को यह अधिकार होगा कि वे उनके लेखा का अंकेक्षण करें ।

7. राज्य सरकार द्वारा जिस विशेष उदेश्य से राशि स्वीकृत की जा रही है, उसकी पूर्ति अकादमी द्वारा निरन्तर किया जाता रहेगा और स्वीकृत राशि का लेखा जोखा अकादमी द्वारा अलग से रखा

निर्धारित करने के उपरान्त उनके वेतनादि का निर्धारण किया गया है।

जायेगा । व्यय विवरणी के अनुसार अकादमी द्वारा राशि खर्च की जायेगी । राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा ।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक माह के अन्दर अकादमी द्वारा निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

9. निदेशक उच्च शिक्षा, बिहार को सूचित कर दिया गया है ।

10. यू0ओ0आर0 संख्या 627/एफ 8 दिनांक 17.09.09 के द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रकाश चन्द्र सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–15/जी1–06/07 अंश उ0 शि0 –14 पटना, दिनांक 30.11.09

प्रतिलिपि– निदेशक उच्च शिक्षा बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा – निदेशक संस्कृत अकादमी, पटना/ आय व्यय–सह– बजट पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग/ लेखा पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 5, 14 एवं 15 मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग/कार्यालय सहायक एवं लेखापाल मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

30.11.

(प्रकाश चन्द्र सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग
30/11/09

D:\Akadami Sanlekh 2009-10.doc

बिहार सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

[illegible] 15 [illegible]

परिशिष्ट – "क"

बिहार राज्य संस्कृत अकादमी के पदाधिकारी / कर्मचारी के बकाया भुगतान की विवरणी

(पृष्ठ–188–153/प० के अनुसार व्यय विवरणी)

क्रम सं०	नाम एवं पदनाम	सितम्बर '92 से फरवरी '96 तक बकाया अन्तर वेतन / मार्च '89 से अगस्त '92 और मार्च '96 से नवम्बर '98 तक बकाया वेतन एवं अंशदायी	जून, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक कुल दस माह का बकाया वेतन अपुनरीक्षित वेतनमान में	वित्तीय वर्ष 2008–09 का बकाया वेतनादि अपुनरीक्षित वेतनमान में	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	श्री विद्यानन्द सिंह, अध्यक्ष		50000	60000	110000
2	श्री विश्वेश चौधरी, सहायक निदेशक	330292	185230	235188	750710
3	श्री उमांनाथ झा, प्र०लि०–सह–लेखापाल	308067	144850	182712	635629
4	श्री हृदय नारायण झा, निजी सहायक	319172	148050	186648	653870
5	श्री हरेराम मिश्र, निजी सहायक	306461	144850	182712	634023
6	श्री अरूण कुमार यादव, लिपिक–सह–टंकक	261292	118510	148836	528638
7	श्री सुशील कु० ठाकुर, आदेशपाल	144074	60930	75108	280112
8	श्री रविशंकर दूबे, आदेशपाल	143596	60930	75108	279634
9	श्री सत्येन्द्र झा, आदेशपाल	90095	57950	71424	219469
10	श्री उमेश प्र० साव, आदेशपाल	131667	60190	74196	266053
	कुल	2034716	1031490	1291932	4358138

(तैंतालीस लाख अन्ठावन हजार रूपये मात्र)

या 4358000

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2009–10 में गैरयोजनान्तर्गत संस्कृत अकादमी में वर्तमान वित्तीय वर्ष मे कार्यरत पदाधिकारियों कर्मचारियों के वेतनादि/बकाया वेतनादि, मकान भाड़ा, बिजली, कार्यालय व्यय, प्रकाशन एवं अन्य आवश्यक आकस्मिक, व्यय आदि हेतु स्वीकृत राशि की व्यय विवरणी–

संस्कृत अकादमी

(i)	पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतनादि–	12,62,800
(ii)	बकाया वेतनादि (विवरणी संलग्न)	43,58,000
(iii)	मकान भाड़ा–	37,200
(iv)	बिजली–	6,000
(v)	टेलीफोन–	12,000
	योग	56,76,000

(छप्पन लाख छिहत्तर हजार रू0 मात्र)

(प्रकाश चन्द्र सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग

D:\Akadami Sanlekh 2009-10.doc

निर्धारित करने के उपरान्त उनके वेतनादि का निर्धारण किया गया है।